



वित्तीय सहायता नीति का सरल भाषा में सारांश

पेन स्टेट हेल्थ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल उन रोगियों को चिकित्सा के लिए आवश्यक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान करने में असमर्थ हैं। पेन स्टेट हेल्थ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल में उपलब्ध वित्तीय सहायता का सारांश निम्नलिखित है।

प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता पारिवारिक आय, परिवार के आकार और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए संपत्ति पर आधारित होती है। योग्य देखभाल में मेडिकेयर द्वारा परिभाषित चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाएं (बीमार या चोट के निदान या उपचार के लिए उचित और आवश्यक सेवाएं या वस्तुएं) शामिल हैं।

यदि आपके परिवार की आय संघीय गरीबी आय दिशानिर्देशों के 300% से अधिक नहीं है, तो आपको मुफ्त देखभाल प्राप्त होगी, या बीमा भुगतान के बाद रोगी दायित्व का 100% बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। सभी आवेदकों की मेडिकेड कवरेज के लिए जांच की जाएगी और उन्हें वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाने वाले मेडिकेड प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करना होगा।

अर्हता प्राप्त करने के अतिरिक्त तरीके। यदि आप उपरोक्त आय मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपकी बीमा की स्थिति की परवाह किए बिना, आपको वित्तीय सहायता के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। असाधारण व्यक्तिगत या वित्तीय परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमसे संपर्क करें, या यदि कोई विशेष चिकित्सा परिस्थितियाँ हैं जहाँ उपचार केवल पेन स्टेट हेल्थ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल के चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

आपसे क्या शुल्क लिया जाएगा। यदि आप हमारी नीति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, तो आपसे चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए उस राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा जो हम आम तौर पर चिकित्सा कवरेज वाले रोगियों को देते हैं।

हमारी नीति और आवेदन की प्रतियाँ कैसे प्राप्त करें। आप हमारी पूर्ण वित्तीय सहायता नीति, सरल भाषा में सारांश और आवेदन पत्र की एक प्रति निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं: (1) www.psh-rehab.com पर पेन स्टेट हेल्थ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल की वेबसाइट पर, (2) (888)868-1103 पर हमारे केंद्रीय व्यापार कार्यालय पर कॉल करके।

आवेदन और सहायता प्राप्त कैसे करें। आप आवेदन को पूरा करके और जमा करके और आय की जानकारी प्रदान करके प्रवेश या बिलिंग प्रक्रिया में किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। सभी वित्तीय सहायता आवेदन, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से पूरे किए गए हों, ऑनलाइन, डेलीवर किए गए या डाक से भेजे गए हों, मूल्यांकन और प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय व्यापार कार्यालय को भेजे जाएंगे। यदि आपको आवेदन करने में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया सुविधा में हमारे प्रवेश विभाग से संपर्क करें या हमारे केंद्रीय व्यापार कार्यालय को (888) 868-1103 पर कॉल करें।